रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अक्तूबर 23, 2008/कार्तिक 1, 1930
No. 173] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 23, 2008/KARTIKA 1, 1930

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2008

सं. भा.आ.प.-18(1)/2008-मेडिकल/29544.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000 में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. इन विनियमों को "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियम, 2008" कहा जाए ।

2. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :

3. (i) खण्ड 2(I) में "एम डी/एम एस के पश्चात् अवधि तीन वर्ष की होगी" वाक्य के पश्चात् "जहाँ कहीं दर्शाया गया है, उस अपवाद के साथ" शब्दों का विलोप किया जाएगा ।

(ii) खण्ड 2(V) में "किसी विधा से संबंधित विभिन्न उप-विशेषज्ञताओं" शब्दों को "विधा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

4. खण्ड 5 में "शोध कौशल" शब्द को "शोध/अनुसंधान लेख लिखने" द्वारा और "अनुसंधान पद्धति में प्रशिक्षण" शब्दों को "अनुसंधान पद्धति, चिकित्सा संबंधी नैतिकता और चिकित्सा कानूनी पहलुओं" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

5. (i) खण्ड 8(3) में "देश में किसी मेडिकल कालेज में किसी स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए चुने गए प्रत्येक छात्र के पास एम बी बी एस की मान्यताप्राप्त डिग्री या उसके समकक्ष शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और उसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् या किसी राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् के साथ स्थायी पंजीकरण करा

लेना चाहिए या यह उसके दाखिले की तारीख से एक महीने के अंदर प्राप्त करना चाहिए अन्यथा अभ्यर्थी का दाखिला रद्द कर दिया जाएगा ' वाक्य को 'एम.बी.बी.एस. डिग्री या इसके समकक्ष शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने पर किसी चिकित्सा संस्थान में किसी स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए चुने गए प्रत्येक छात्र को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या किसी राज्य आयुर्विज्ञान परिषद में स्थायी पंजीकरण कराना होगा या उसके दाखिले की तारीख से एक महीने की अवधि के अंदर यह स्थायी पंजीकरण कराना होगा अन्यथा उसका दाखिला निरस्त कर दिया गया माना जाएगा ' द्वारा **प्रतिस्थापित किया जाएगा ।**

(ii) खण्ड 8 (3) के पैरा-2 में 'उस मेडिकल कालेज/संस्थान, जिसमें उसे अनन्य रूप से स्नातकोत्तर अध्ययन करने के लिए फिलहाल दाखिल किया गया है, तक सीमित प्रशिक्षण ' वाक्य को 'उस मेडिकल कालेज/संस्थान जिसमें अनन्य रूप से स्नातकोत्तर अध्ययन करने के लिए उसे फिलहाल दाखिल किया गया है, तक सीमित पाठ्यक्रम ' द्वारा **प्रतिस्थापित किया जाएगा ।**

(iii) खण्ड 8 (3) के पैरा-3 में 'अपने उस देश, जहां से उसने अपनी मूल चिकित्सा शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है, में चिकित्सा व्यवसायी के रूप में और कि उसकी डिग्री को तद्नुरूपी आयुर्विज्ञान परिषद या संबंधित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्रदान की गई है ' वाक्य को "अपने उस देश, जहाँ से उसने अपनी मूल चिकित्सा शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है, में समुचित पंजीकरण प्राधिकरण के साथ विधिवत् पंजीकृत हो और तद्नुरूपी आयुर्विज्ञान परिषद या संबंधित प्राधिकरण द्वारा विधिवत् मान्यता प्राप्त हो" द्वारा **प्रतिस्थापित किया जाएगा ।**

(iv) खण्ड 8 (4) (ख) में 'कुछ व्याख्यान या मानव व्यवहार अध्ययनों में अन्य प्रकार का अभिदर्शन ' को 'मानव व्यवहार अध्ययनों में अभिदर्शन ' द्वारा **प्रतिस्थापित किया जाएगा ।**

(v) खण्ड 8 (4) - उप खण्ड (ग) और (घ) का **विलोप किया जाएगा ।**

6 (i) खण्ड 10 (1) में 'रखने वाले ' शब्द को 'के पास होने वाले ' द्वारा **प्रतिस्थापित किया जाएगा ।**

(ii) खण्ड 10 (2) में 'ये डिग्रियां प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की अवधि, एम.डी./एम.एस. डिग्रियां या अपेक्षित विषय में मान्यताप्राप्त समकक्ष शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात पूरे तीन वर्ष (परीक्षा अवधि सहित) होगी' वाक्य को 'ये डिग्रियां प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की अवधि, परीक्षा अवधि सहित पूरे तीन वर्ष होगी' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(iii) खण्ड 10 (iii) में 'एक मेडिकल कालेज या संस्थान से दूसरे मेडिकल कालेज/संस्थान में स्नातकोत्तर छात्रों का अंतरण/स्थानांतरण ।

किसी स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा में अध्ययनरत छात्रों के अंतरण/स्थानांतरण की अनुमति किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी' को

'अंतरण

किसी भी परिस्थिति में, किसी स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा/अति विशेषज्ञता पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे छात्र के अंतरण/स्थानान्तरण की अनुमति किसी विश्वविद्यालय/प्राधिकरण द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

7 (i) खण्ड 11 में 'निर्धारित संख्या में न्यूनतम संकाय सदस्य, स्टाफ और बिस्तर रखने वाले किसी ऐसे अध्यापन संस्थान, जिसमें प्रत्येक में एक या एक से अधिक इकाईयाँ हो, का एक स्वतंत्र अकादमिक अस्तित्व रखने वाले विभाग, को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए मान्यता दी जाएगी' पैरे को, 'निर्धारित संख्या में संकाय सदस्य, स्टाफ और अध्यापन बिस्तर रखने वाले किसी ऐसे अध्यापन संस्थान, जिसमें एक या दो इकाईयाँ हों, का एक स्वतंत्र अकादमिक अस्तित्व रखने वाले विभाग को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्रदान की जाएगी' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ii) खंड 11.1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"11.1 स्टाफ - संकाय सदस्य

क. विस्तृत या अतिविशेषज्ञताओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले नैदानिक विभाग या इसकी इकाई में संबंधित विधाओं से संबंधित कम-से-कम तीन

पूर्णकालिक संकाय सदस्य होंगे, जिनमें से एक प्रोफेसर, एक एसोसिसट प्रोफेसर/रीडर और एक सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता होगा, जिनके पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा विनिर्धारित अपेक्षित शैक्षिक योग्यता और अध्यापन का अनुभव होगा ।

बशर्ते कि दूसरी या बाद वाली इकाई का प्रमुख, **दो सहायक प्रोफेसरों/व्याख्याताओं** के साथ कोई एसोसिएट प्रोफेसर हो सकता है ।

इन संकाय सदस्यों में से जिनके पास कुल आठ वर्ष का अध्यापन का अनुभव है जिसमें से कम-से-कम पांच वर्ष का अध्यापन का अनुभव, स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् सहायक प्रोफेसर के रूप में है, उन्हें स्नातकोत्तर अध्यापकों के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी ।

(ख) अतिविशेषज्ञता के लिए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने वाले किसी विभाग में कम-से-कम 3 संकाय सदस्य होंगे, जिनके पास अपेक्षित स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता और अनुभव होगा इनमें से एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर/व्याख्याता होगा ।

बशर्ते कि दूसरी या बाद वाली इकाई का प्रमुख दो सहायक प्रोफेसरों/व्याख्याताओं के साथ कोई एसोसिएट प्रोफेसर हो सकता है ।

इन संकाय सदस्यों में से जिनके पास कुल आठ वर्ष का अध्यापन का अनुभव है, जिसमें से कम-से-कम पाँच वर्ष का अध्यापन अनुभव, स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् **सहायक प्रोफेसर के रूप में या उससे ऊपर के पद** पर है, उन्हें स्नातकोत्तर अध्यापकों के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी ।

बशर्ते कि उन अति विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों, जो नए खोले गए हैं, के मामले में स्नातकोत्तर अध्यापकों के रूप में मान्यता के लिए शैक्षिक योग्यता और अनुभव की छूट भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा प्रदान की जा सकती है परन्तु इसके लिए पर्याप्त कारण होने चाहिए ।"

(iii) खण्ड 11.2 (क) को निम्नलिखित द्वारा **प्रतिस्थापित किया जाएगा**:-

"क. स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर अध्यापन चलाने वाला कोई संस्थान, स्नातक-पूर्व प्रशिक्षण के लिए विनिर्धारित न्यूनतम शर्तें पूरी करेगा और विभाग में किए जा रहे कार्य के प्रकार पर निर्भर करते हुए, स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त शर्तें भी

पूरी करेगा । निम्नलिखित विभागों में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराए जाने वाला अतिरिक्त स्टाफ निम्नलिखित होगा:-

1. रोग-विज्ञान विभाग
I. एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर-।
II. सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता-।
III. ट्यूटर/प्रदर्शक-।

2. रेडियो-निदान विभाग
I. एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर-।
II. सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता-।
III. ट्यूटर/प्रदर्शक-।

3. संचेतनाहरण-विज्ञान विभाग
I. एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर-।
II. सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता-।
III. ट्यूटर/प्रदर्शक-।"

(iv) परिशिष्ट-। का विलोप किया जाएगा ।

(v) खण्ड 11.3 को *निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:* -

"11.3 नैदानिक विभागों में बिस्तरों की संख्या:

स्नातकोत्तर छात्रों के प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्रदान किए जाने वाले विभाग में सामान्य औषधि, शल्य चिकित्सा, प्रसूति एवं स्त्रीरोग-विज्ञान में से प्रत्येक में कम-से-कम 60-60 बिस्तर और डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए अन्य विशेषज्ञताओं हेतु 30-30 बिस्तरें तथा अति विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों के मामले में 20-20 बिस्तर होंगे ।

स्पष्टीकरण: एक इकाई में डिग्री/डिप्लोमा के लिए कम-से-कम 30 और अधिक-से-अधिक 40 बिस्तरे होगें तथा अति विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों के लिए कम-से-कम 20 और अधिक-से-अधिक 30 बिस्तरे होंगे ।"

(vi) खण्ड 11.6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"11.6 उपकरण -

विभाग के पास, प्रशिक्षण के लिए आवश्यक अद्यतन उपकरणों और समय-समय पर

प्रत्येक विशेषज्ञता के लिए परिषद द्वारा विनिर्धारित किए गए उपकरणों सहित पर्याप्त संख्या में ऐसे सभी उपकरण होंगे ।'

8 (i) खण्ड 13.2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः -

'स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थी प्रशिक्षण की अवधि के दौरान सम्पूर्णकालिक आवासी डाक्टरों' के रूप में काम करेंगे और प्रत्येक अकादमिक वर्ष के दौरान प्रदान किए गए प्रशिक्षण के कम-से-कम 80% (अस्सी प्रतिशत) हिस्से में भाग लेंगे जिसमें आबंटित कार्य, मूल्यांकन की गई पूर्णकालिक जिम्मेदारियाँ और शिक्षा संबंधी प्रक्रिया के सभी पहलुओं में प्रतिभागिता शामिल है।"

(ii) खण्ड 13.3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः -

'स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा/अतिविशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे स्नातकोत्तर छात्रों को, राज्य सरकार के चिकित्सा संस्थानों/केन्द्रीय सरकार के चिकित्सा संस्थानों, राज्य/संघ शासित क्षेत्र, जहाँ संस्थान स्थित है, के स्नातकोत्तर छात्रों को भुगतान की जा रही छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा । इसी प्रकार स्नातकोत्तर छात्रों को छूट्टी प्रदान करने का मामला संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार विनियमित होगा ।'

(iii) खण्ड 13.4 (घ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

' रिकार्ड (लॉग) बुकों की जाँच प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संकाय सदस्यों द्वारा की जाएगी और आवधिक रूप से उनका आकलन किया जाएगा ।'

(iv) खण्ड 13.5 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

'नैदानिक विधाओं में डिग्री/अति विशेषज्ञता/डिप्लोमा प्रदान करने के लिए, दिए जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान संबंधित विधाओं से संबंधित मौलिक आर्युविज्ञान में उचित प्रशिक्षण होगा । इसी प्रकार विषय के अनुप्रयुक्त पहलुओं और संबंधित विधाओं से संबंधित संबद्ध विषयों में भी उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा । नैदानिक और मौलिक आर्युविज्ञान दोनों सहित स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवारक तथा सामाजिक पहलुओं पर जोर दिया जाना चाहिए । आपातकालीन देखभाल, शव-परीक्षाओं, जीवोती परीक्षाओं, कोशिका-द्रव्यों, एंडोस्कोपी और प्रतिबिंबन आदि भी प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे ।'

(v) खंड 13.8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"विभिन्न स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमें प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में निम्नलिखित शामिल होंगे: -

क. **डॉक्टर ऑफ मेडिकल (एम.डी/मास्टर ऑफ सर्जरी (एम-एस)**

(i) **मौलिक आर्युविज्ञान** - छात्रों का अध्यापन और प्रशिक्षण, व्याख्यानों, संगोष्ठियों, जर्नल कल्बों, समूह चर्चाओं, प्रयोगशाला में प्रतिभागिता और प्रयोगात्मक कार्य तथा संबंधित विशेषज्ञता में अनुसंधान अध्ययनों में शामिल होने और नैदानिक विशेषज्ञताओं से सुसंगत विषय के 'अनुप्रयुक्त पहलुओं' में भाग लेने के माध्यम से होगा ।

(ii) **नैदानिक विधाएं** - छात्रों के अध्यापन और प्रशिक्षण में, मरीज़ों की देखभाल के लिए सौंपी गई मरीजों के उपचार और प्रबंधन में ग्रेडेड जिम्मेदारी, संगोष्ठियों, जर्नल क्लबों, समूह चर्चाओं, नैदानिक बैठकों, महत्त्वपूर्ण दौरों और नैदानिक-रोगात्मक सम्मेलनों में प्रतिभागिता; निदान और मेडिकल तथा सर्जिकल उपचार में व्यावहारिक प्रशिक्षण; मौलिक आयुर्विज्ञान तथा सम्बद्ध नैदानिक विशेषज्ञताओं में प्रशिक्षण शामिल होंगे ।

ख. **डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (डी.एम.)/मजिस्टर चिरूरगिए (एम. सीएच.)**
विशेषज्ञता के विषय से सुसंगत उन्नत नैदानिक, चिकित्सीय और प्रयोगशाला से संबंधित तकनीकों सहित व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम उसी पैटर्न पर होगा, जिस पैटर्न पर नैदानिक विधाओं में एम डी/एम एस के लिए होता है । सर्जिकल विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा/अतिविशेषज्ञता वाले आवासी डाक्टर सर्जिकल आपरेशनों में भी भाग लेंगे ।

ग. **डिप्लोमा**

छात्रों के अध्यापन और प्रशिक्षण में, ग्रेडेड नैदानिक जिम्मेदारी; व्याख्यान, संगोष्ठियां, जर्नल क्लब, समूह चर्चाएं और नैदानिक तथा निदान-रोगात्मक सम्मेलनों, विशेषज्ञता में सामान्य समस्याओं के स्वतंत्र रूप से प्रबंधन के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण और मौलिक आयुर्विज्ञान में प्रशिक्षण शामिल होंगे । "

9 (i) खण्ड 14 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

'परीक्षाएं

परीक्षाएं, प्रशिक्षण के अंत में अभ्यर्थी के ज्ञान, कौशल और सक्षमता का मूल्यांकन करने और उसे प्रमाणित करने के लिए 'ग्रेडिंग' या 'मार्किंग प्रणाली' के आधार पर आयोजित की जाएगी । समग्र रूप से परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 'सिद्धांत' और 'प्रयोगात्मक' परीक्षाओं में अलग-अलग कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है । एम डी/एम एस, डी एम, एम. सीएच के लिए परीक्षा तीसरे अकादमिक वर्ष के अंत में और डिप्लोमा के लिए दूसरे अकादमिक वर्ष के अंत में आयोजित की जाएगी । एक अकादमिक अवधि का अर्थ 6 महीने की प्रशिक्षण अवधि होगा ।'

(ii) खण्ड 14.1 (घ) का विलोप किया जाएगा ।

(iii) खण्ड 14 (4) (क) के दूसरे पैरे में 'शोध कार्य, सैद्धांतिक और नैदानिक/प्रयोगात्मक परीक्षा से कम-से-कम छः महीने पहले प्रस्तुत किया जाएगा' वाक्य को 'शोधकार्य, सिद्धांत और नैदानिक/प्रयोगात्मक परीक्षा से कम-से-कम छः महीने पहले प्रस्तुत किया जाएगा' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

इसके अलावा खण्ड 14 (4) (क) के पैरा 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।'शोध कार्य की जांच, कम से कम ऐसे तीन परीक्षकों - एक आंतरिक और दो बाहरी परीक्षकों द्वारा की जाएगी जो सिद्धांत और नैदानिक परीक्षा के परीक्षक नहीं होंगे । किसी अभ्यर्थी की सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक/नैदानिक परीक्षा में बैठने की अनुमति परीक्षकों द्वारा केवल शोध कार्य स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात ही दी जाएगी ।"

(iv) खण्ड 14 (4) (ख) (ii) में 'मूल आयुर्विज्ञान' शब्दों को 'मूल आयुर्विज्ञान' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

इसके अलावा खण्ड 14 (4) (ख) (iii) में 'से काफी पहले' शब्दों को 'बहुत पहले' द्वारा और शब्द 'आरंभ' को 'प्रारंभण' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । इसके अलावा खण्ड 14 (4) (ख) के अंतिम पैरे में 'बशर्ते कि इन विनियमों के प्रारंभण से 5 वर्ष पश्चात् ' बहुविध चयन प्रश्न-पत्रों' का सिद्धांत का एक पेपर होगा, जब तक कि कोई संस्थान इस पेपर को पहले कराना न चाहे' का विलोप किया जाएगा ।

(v) खण्ड 14 (II) में 'परीक्षा में सिद्धांत और नैदानिक/प्रयोगात्मक तथा मौखिक परीक्षाएँ शामिल होगी' वाक्य को 'परीक्षा में (i) सिद्धांत और (ii) नैदानिक/प्रयोगात्मक तथा मौखिक परीक्षाएँ शामिल होगी' द्वारा **प्रतिस्थापित किया जाएगा** ।

खण्ड 14 (II) (क) में 'सिद्धांत' शीर्षक के अंतर्गत पैरे को निम्नलिखित द्वारा **प्रतिस्थापित किया जाएगा**:-

'सिद्धांत के चार पेपर होंगे - इनमें से एक पेपर ' मौलिक आयुर्विज्ञान' पर और दूसरा पेपर 'वर्तमान प्रगतियों' पर होगा । सिद्धांत की परीक्षा, नैदानिक और प्रयोगात्मक परीक्षा से काफी पहले आयोजित की जाएगी ताकि उत्तर पुस्तिकाओं का आकलन और मूल्यांकन, नैदानिक/प्रयोगात्मक तथा मौखिक परीक्षा से पहले किया जा सके ।'

खण्ड 14 II (ख) में 'होगा' शब्दों को 'हो सकता है' द्वारा, 'व्यापक' शब्द को 'काफी व्यापक' द्वारा और 'नैदानिक मौखिक परीक्षा' को 'नैदानिक तथा मौखिक परीक्षा' द्वारा **प्रतिस्थापित किया जाएगा** ।

(vi) खंड 14 (III) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा शीर्षक के अंतर्गत 'सिद्धांत, नैदानिक और मौखिक' शब्दों को 'सिद्धांत, प्रयोगात्मक/नैदानिक तथा मौखिक' द्वारा **प्रतिस्थापित किया जाएगा** ।

इसके अलावा खंड 14 (III) (क) में 'सिद्धांत' शीर्षक के अंतर्गत पैरे को निम्नलिखित द्वारा **प्रतिस्थापित किया जाएगा**:-

'सिद्धांत के तीन पेपर होंगे । इनमें से एक पेपर 'मौलिक आयुर्विज्ञान' पर होगा । सिद्धांत की परीक्षा, नैदानिक परीक्षा से काफी पहले आयोजित की जाएगी ताकि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, प्रयोगात्मक/नैदानिक और मौखिक परीक्षा आरंभ होने से पहले किया जा सके ।'

10 (i) 'परिशिष्ट II, में 'स्नातकोत्तर परीक्षकों की नियुक्ति पर दिशानिर्देश' शीर्षक के अंतर्गत प्वाइंट संख्या-1 को निम्नलिखित द्वारा **प्रतिस्थापित किया जाएगा**:-

' **किसी भी व्यक्ति को किसी विषय में आंतरिक परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक उसे संबंधित विषय में मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अध्यापक के**

रूप में तीन वर्ष का अनुभव न हो । बाहरी परीक्षकों के लिए, उनके पास संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में कम से कम 6 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।"

(ii) परिशिष्ट- II में पैरा 2 का अंतिम वाक्य अर्थात् 'और ऐसे मामले में परिणाम, भारतीय आर्युविज्ञान परिषद् के अनुमोदन से प्रकाशित किया जाएगा ' को 'ऐसे मामले में परिणाम का प्रकाशन भारतीय आर्युविज्ञान परिषद के अनुमोदन से किया जाएगा' द्वारा **प्रतिस्थापित किया** जाएगा ।

(iii) परिशिष्ट (II) में पैरा 3 को निम्नलिखित द्वारा **प्रतिस्थापित किया जाएगा**:-

'किसी परीक्षक की नियुक्ति आमतौर पर **कम-से-कम दो** निरंतर **अवधियों के लिए की** जाएगी ।'

(iv) परिशिष्ट (II) में पैरा 5 और 6 का **विलोप किया जाएगा** ।

(v) परिशिष्ट (II) में पैरा 8 को निम्नलिखित द्वारा **प्रतिस्थापित किया जाएगा**:-

"जहां एक से अधिक परीक्षा केन्द्र हों, ऐसी स्थिति में एक समन्वयक/संचालक/अध्यक्ष होगा, जो विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया वरिष्ठतम आंतरिक परीक्षक होगा और स्वतंत्र प्राधिकार के साथ विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा का पर्यवेक्षण तथा समन्वय करेगा ।"

(vi) परिशिष्ट (II) में पैरा 9 का **विलोप किया जाएगा** ।

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली नामतः 'स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000' दिनांक 7 अक्तूबर, 2000 को भारत के राजपत्र के भाग- III, धारा (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भा.आ.प. की दिनांक 03.03.2001, 06.10.2001, 16.03.2005 तथा 23.03.2006 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था ।

लेफ्टि. क. (डॉ.) ए.आर.एन. सीतलवाड (से.नि.), सचिव

[विज्ञापन III/4/100/2008/असा.]

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2008

No. MCI-18(1)/2008-Medical/29544.— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956(102 of 1956), the Medical Council of India with the *previous* approval of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", namely:-

1. These Regulations may be called the "Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2008".

2. In the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", the following **additions / modifications / deletions / substitutions**, shall be as indicated therein:-

3. (i) In Clause 2(i) after the sentence "duration shall be of three years after MD/MS", the words "with the exception wherever indicated" **shall be deleted.**

(ii) In Clause 2(v) the words "various sub-specialties concerned with a discipline" **shall be substituted** by "various areas concerned with the discipline".

4. In Clause 5 the words "Thesis skills" **shall be substituted** by "Writing Thesis/Research articles" and the words "Training in research methodology" **shall be substituted** by "Training in Research Methodology, Medical Ethics and Medicolegal aspects"

5. (i) In Clause 8(3) the sentence "Every student, selected for admission to a Post Graduate medical course in any of the medical institutions in the country shall possess recognized MBBS degree or equivalent qualification and should have obtained permanent registration with the Medical Council of India, or any of the State Medical Councils or should obtain the same within one *month* from the date of his admission, failing which the admission of the candidate shall be cancelled;" **shall be substituted** by "Every student, selected for admission to a Post Graduate medical course in any of the medical institutions on acquiring MBBS Degree or an equivalent qualification thereto shall have obtained permanent registration with the Medical Council of India, or any of the State Medical Council(s) or shall obtain the same within a period of one month from the date of his/her admission, failing which his/her admission shall stand cancelled;"

(ii) In para –2 of Clause 8(3) the sentence "training restricted to the medical college/institution to which he is admitted for the time being exclusively for Post

Graduate studies" **shall be substituted** by "course limited to the Medical College/Institution to which he/she is admitted for the time being exclusively for pursuing the Post Graduate studies"

(iii) In para –3 of Clause 8(3) the sentence "as medical practitioner in his own country from which he has obtained his basic medical qualification and that his degree is recognized by the corresponding medical council or concerned authority" **shall be substituted** by "with appropriate registering authority in his own country wherefrom he has obtained his Basic Medical qualification, and is duly recognized by the corresponding Medical Council or concerned authority"

(iv) In Clause 8(4) (b) "Few lectures or other type of exposure to human behaviour studies" **shall be substituted** by 'Exposure to Human Behaviour studies'

(v) Clause 8(4) – sub clause (c) & (d) **shall be deleted.**

6 (i) In Clause 10(1) the word "having" **shall be substituted** by 'possessing'

(ii) In Clause 10(2) the sentence "The period of training for obtaining these degrees shall be three completed years (including the examination period) after obtaining M.D. / M.S. degrees, or equivalent recognised qualification in the required subject:" **shall be substituted** by "The period of training for obtaining these Degrees shall be three completed years including the examination period."

(iii) In Clause 10 (iii) the paragraph **"Migration/transfer of Post Graduate students from one medical college or institution to another.**
Migration/transfer of students undergoing any Post Graduate course-degree/diploma shall not be permitted by any university or any author" **shall be substituted** by:
"MIGRATION
Under no circumstance, Migration/transfer of student undergoing any Post Graduate Degree/ Diploma / Super Specialty course shall be permitted by any University/ Authority"

7 (i) In Clause 11 the para "A department having an independent academic entity of a teaching institution, consisting of one or more units, each having the prescribed minimum strength of faculty, staff and beds shall be recognised for Post Graduate training" **shall be substituted** by "A department having an independent academic identity in a teaching institution, comprising of one or more units, having prescribed strength of faculty, staff and **teaching beds** shall be recognised for Post Graduate training."

(ii) Clause 11.1 **shall be substituted** by the following:

"11.1 Staff – Faculty

(a) A clinical department or its unit training candidates for Broad or Super Specialities, shall have a minimum of three full time faculty members belonging to the concerned disciplines of whom one shall be a Professor, one Associate Professor/ Reader and one Astt. Professor/ Lecturer, possessing requisite qualification and teaching experience prescribed by the Medical Council of India.

Provided that the second or subsequent unit may be headed by an Associate Professor **alongwith two Assistant Professors/Lecturers.**

Of these faculty members only those who possess a total of eight years teaching experience, of which at least five years teaching experience is as Assistant Professor gained after obtaining Post Graduate Degree, shall be recognised as Post Graduate teachers.

(b) In a Department, training candidates for Super Speciality, there shall be a minimum of three faculty members with requisite Post Graduate qualification and experience, one shall be Professor, One Associate Professor / Reader and one Assistant Professor / Lecturer.

Provided that the second or subsequent unit may be headed by an Associate Professor along with two Assistant Professor s /Lecturers.

Of these only those faculty members who possess eight years teaching experience of which at least five years teaching experience is as **Assistant Professor or above** gained after obtaining the Post Graduate degree shall be recognised as Post Graduate teachers :

Provided that in the case of super speciality courses which are newly instituted, relaxation of qualification and experience for recognition as Post Graduate teachers, may be granted by the Medical Council of India for sufficient cause."

(iii) Clause 11.2 (a) **shall be substituted** by the following:

"(a) An institution conducting both Undergraduate and Post Graduate teaching shall fulfill the prescribed minimum requirements for undergraduate training and also additional requirements for Post Graduate training depending on the type of work being carried out in the Department. The additional staff required to be provided in following Departments shall be as under :-

1) Department of Pathology
i)Associate Professor/Reader -1,
ii) Assistant Professor/Lecturer - 1
iii) Tutor/Demonstrator - 1

2) Department of Radio-diagnosis
i) Associate Professor/Reader -1,
ii) Assistant Professor/Lecturer - 1
iii) Tutor/Demonstrator - 1

3) Department of Anaesthesiology
i) Associate Professor/Reader -1,
ii) Assistant Professor/Lecturer - 1
iii) Tutor/Demonstrator – 1"

(iv) Appendix I **shall be deleted.**

(v) Clause 11.3 **shall be substituted** by the following:

"11.3 Bed Strength in Clinical Departments

A Department to be recognised for training of Post Graduate students, shall have at least 60 (Sixty) beds each of General Medicine, General Surgery, Obstetrics and Gynecology and 30 (thirty) beds each for others specialties for Degree and Diploma courses, and 20 (twenty) beds each in case of Super Specialty courses.

Explanation: - A unit shall consist of not less than 30 and more than 40 beds for **Degree/Diploma** courses and not less than 20 and more than 30 beds for **Super Specialty courses respectively."**

(vi) Clause 11.6 **shall be substituted** by the following:

"11.6 Equipment
The department shall have adequate number of all such equipments including the latest ones necessary for training and as may be prescribed by the Council for each speciality from time to time."

8 (i) Clause 13.2 **shall be substituted** by the following:

"All the candidates joining the Post Graduate training programme shall work as 'Full Time Residents' during the period of training and shall **attend not less than 80% (Eighty percent) of the imparted training during each academic year** including assignments, assessed full time responsibilities and participation in all facets of the educational process."

(ii) Clause 13.3 **shall be substituted** by the following:

"The Post Graduate students undergoing Post Graduate Degree/Diploma/Super-Specialty course shall be paid stipend on par with the stipend being paid to the Post Graduate students of State Government Medical Institutions / Central Government Medical Institutions, in the State/Union Territory where the institution is located. Similarly, the matter of **grant of leave to Post Graduate students shall be regulated as per the respective State Government rules."**

(iii) Clause 13.4 (d) **shall be substituted** by the following:

"The Record (Log) Books shall be checked and assessed periodically by the faculty members imparting the training."

(iv) Clause 13.5 **shall be substituted** by the following:

"During the training for award of Degree / **Superspecialty/Diploma** in clinical disciplines, there shall be proper training in Basic medical sciences related to the disciplines concerned; so also in the applied aspects of the subject; and allied subjects related to the disciplines concerned. In the Post Graduate training programmes including both Clinical and Basic medical sciences, emphasis has to be laid on Preventive and Social aspects. Emergency care, facilities for Autopsies, Biopsies, Cytopsies, Endoscopy and Imaging etc. shall also be made available for training purposes."

(v) Clause 13.8 **shall be substituted** by the following:

"Implementation of the training programmes for the award of various Post Graduate Degree and Diplomas shall include the following:-

(a) Doctor of Medical (M.D.) / Master of surgery (M.S.)

(i) **Basic Medical Sciences** – The teaching and training of the students shall be through Lectures, Seminars, Journal Clubs, Group Discussions, Participation in laboratory and experimental work, and involvement in Research Studies in the concerned speciality and exposure to the 'Applied aspects' of the subject relevant to clinical specialities.

(ii) Clinical disciplines

The teaching and training of the students shall include graded responsibility in the management and treatment of patients entrusted to their care; participation in Seminars, Journal Clubs, Group Discussions, Clinical Meetings, Grand Rounds, and Clinico-Pathological Conferences; practical training in Diagnosis and Medical and Surgical treatment;

training in the Basic Medical Sciences, as well as in allied clinical specialitites.

(b) Doctor of Medicine (D.M.) / Magister Chirurgiae (M.Ch.)
The training programme shall be on the same pattern as for M.D. / M.S. in clinical disciplines; with practical training including advanced Diagnostic, Therapeutic and Laboratory techniques; relevant to the subject of specialization. **Postgraduate Degree/Diploma/Superspecialty Residents in Surgical Specialties shall participate in Surgical operations as well.**

(c) Diplomas
The teaching and training of the students shall include graded clinical responsibility; Lectures, Seminars, Journal Clubs, Group Discussions and participation in Clinical and Clinico-Pathological Conferences, practical training to manage independently common problems in the specialty; and training in the Basic Medical Sciences"

9. (i) **Clause 14 shall be substituted** by the following:

"EXAMINATIONS
The examinations shall be organised on the basis of 'Grading' or 'Marking system' to evaluate and to certify candidate's level of knowledge, skill and competence at the end of the training. Obtaining a minimum of 50% marks in 'Theory' as well as 'Practical' separately shall be mandatory for passing examination as a whole. The examination for **M.D./ MS, D.M.,** M.Ch shall be held at the end of 3rd academic year and for Diploma at the end of 2nd academic year. An academic term shall mean six month's training period."

(ii) Clause 14.1 (d) **shall be deleted.**

(iii) Clause 14(4) (a) the sentence in second para "Thesis shall be submitted at least six months before the theoretical and clinical / practical examination" **shall be substituted** by "Thesis shall be submitted at least six months before the Theory and Clinical / Practical examination"

Further, para 3 of clause 14(4)(a) **shall be substituted** by "The thesis shall be examined by a minimum of three examiners; one internal and two external examiners, who shall not be the examiners for Theory and Clinical examination. A candidate shall be allowed to appear for the Theory and Practical/Clinical examination only after the acceptance of the Thesis by the examiners."

(iv) Clause 14(4) (b) (ii), the words "Basic Medical Sciences" **shall be substituted** by 'Basic Medical Sciences'.

Further, in clause 14(4)(b) (iii) the words "sufficiently earlier than" **shall be substituted** by "well in advance before", the word "start" **shall be substituted** by "commencement"

Further last para of clause 14(4) (b) i.e. "Provided that after five years from the commencement of these regulations, there shall be one theory paper of 'multiple choice questions'; unless any institution wants to have such paper earlier." **shall be deleted**

(v) In Clause 14 (II), the sentence "The examination shall consist of: Theory and Clinical/Practical and Oral" **shall be substituted** by "The Examination consists of: (i) Theory and (ii) Clinical/Practical and Oral"

In clause 14 (II) (a) para under heading 'Theory' **shall be substituted** by the following:
"There shall be four theory papers, one paper out of these shall be on 'Basic Medical Sciences', and another paper on 'Recent Advances'. The theory examination shall be held in advance before the Clinical and Practical examination, so that the answer books can be assessed and evaluated before the commencement of the clinical/Practical and Oral examination."

In clause 14(II) (b) the word "shall" **shall be substituted** by "may", the word "comprehensive" **shall be substituted** by "'comprehensive' enough" and the sentence "clinical viva voce examination" **shall be substituted** by "Clinical and Viva Voce examination"

(vi) Clause 14(III) under heading Post Graduate Diploma, the sentence "Theory, Clinical and Oral" **shall be substituted** by "Theory, Practical / Clinical and Oral"

Further, in Clause 14(III)(a) the para under heading "Theory" **shall be substituted** by the following"

"There shall be three 'Theory' papers, one paper out of these shall be on 'Basic Medical Sciences'. The theory of examination will be held well in advance before the Clinical examination, so that the answer books can be assessed before the commencement of the Practical / Clinical and Viva-Voce examination."

10 (i) In Appendix (II), point no. 1, under the heading "**GUIDELINES ON APPOINTMENT OF POSTGRADUATE EXAMINERS**" **shall be substituted** by the following:

'No person shall be appointed as an internal examiner in any subject unless he/she has three years experience as recognized PG teacher in the concerned subject. For external examiners, he/she should have minimum six years of experience as recognized PG teacher in the concerned subject.'

(ii) In Appendix (II), last sentence of para 2 i.e. "and the result shall be published in such a case with the approval of Medical council of India" **shall be substituted** by "The result in such a case shall be published with the approval of Medical Council of India"

(iii) In Appendix (II), Para 3 **shall be substituted** by the following:

"An examiner shall ordinarily be appointed for not more than two consecutive terms"

(iv) In Appendix (II), Para 5 and 6 **shall be deleted.**

(v) In Appendix (II), Para 8, **shall be substituted** by the following:

"Where there is more than one centre of examination, there shall be Co-ordinator/Convenor/Chairman who shall be the Seniormost internal Examiner, appointed by the University & shall supervise and Co-ordinate the examination on behalf of the University with independent authority"

(vi) In Appendix (II), Para 9 **shall be deleted.**

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000" were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India on the 7th October, 2000, and amended vide MCI notification dated 03.03.2001, 06.10.2001, 16.03.2005 & 23.03.2006.

Lt. Col. (Retd.) Dr. A.R.N. SETALVAD, Secy.

[ADVT III/4/100/2008/Extv.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.